भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2965
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए आवास

2965. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वास्तविक वंचित लोगों को सहायता और आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए निर्धारित लक्ष्य कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) लक्ष्य निर्धारण हेतु मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नंदुरबार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के पास पक्का मकान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किस्तों के भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इन मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ.चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) जी नहीं। मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत महाराष्ट्र राज्य के लिए पहले ही 33.41 लाख आवासों का लक्ष्य आवंटित किया है, जिसकी तुलना में दिनांक 12.03.2025 तक, राज्य ने 32.17 लाख लाभार्थियों को आवास स्वीकृत कर दिए है, 28.03 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी की गई है और 12.76 लाख घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य के मौजूदा आवास+ 2018 डेटाबेस में कुल 13.29 लाख पात्र लाभार्थी शेष हैं, जो आज तक आवंटित लक्ष्यों के भीतर शामिल नहीं हैं। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए योजना के कार्यान्वयन को 5 और वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है। आवास+ (2018) सूची (अद्यतन के बाद) और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष पात्र परिवारों को संतृप्त करने हेतु 2 करोड़ पक्के आवासों की समग्र सीमा के भीतर सहायता प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत, पात्र लाभार्थियों की श्रेणी में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 और आवास+ 2018 सर्वेक्षण डेटा के अनुसार सभी बेघर और कच्ची दीवार और कच्ची छत (कच्चे घर) वाले शून्य, एक या दो कमरों में रहने वाले परिवार शामिल हैं। लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों के आधार पर की जाती है। ये पैरामीटर/मानदंड एसईसीसी2011 और आवास+, 2018 सर्वेक्षण डेटाबेस दोनों पर लागू होते हैं और फिर पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची पर पहुंचने के लिए उन्हें ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन और उसके बाद अपीलीय प्रक्रिया के अधीन किया जाता है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को लक्ष्य एसईसीसी 2011 आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) और मौजूदा अंतिम आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूची से आवंटित किए गए हैं, जो शेष पात्र लाभार्थियों की संख्या और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। एसईसीसी 2011 आधारित पीडब्ल्यूएल को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संतृप्त किया गया है और आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूची को 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और लद्दाख के लिए लक्ष्यों के आवंटन के माध्यम से संतृप्त किया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने योजना के तहत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास+ सूची को अद्यतन करने की स्वीकृति प्रदान की है। भारत सरकार की मंजूरी के अनुरूप, पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से आवास+ सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) पीएमएवाई-जी के तहत मंत्रालय राज्य को एक इकाई मानकर लक्ष्य आवंटित करता है और जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत-वार लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। नंदुरबार लोकसभा संसदीय क्षेत्र में नंदुरबार जिले के 4 ब्लॉक शामिल हैं, अर्थात् अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार और नवापुर और धुले जिले के 2 ब्लॉक शामिल हैं, अर्थात् सकरी और शिरपुर। नंदुरबार लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, महाराष्ट्र राज्य ने 2,91,416 घरों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है, जिसमें से 12.03.2025 तक लाभार्थियों को 2,82,424 घर स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1,21,286 पक्के घर पहले ही पूरे हो चुके हैं।

(घ) पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक इकाई मानकर सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की जाती है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों

द्वारा आगे लाभार्थियों को प्रगति से जुड़ी किस्तों में ये धनराशि जारी की जाती है। पीएमएवाई-जी के तहत 12.03.2025 तक कुल मिलाकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 3.55 करोड़ लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किएहै, 3.23 करोड़ लाभार्थियों के लिए सहायता की पहली किस्त जारी की है, 2.87 करोड़ लाभार्थियों के लिए सहायता की दूसरी किस्त, 2.72 करोड़ लाभार्थियों के लिए सहायता की तीसरी किस्त और 2.72 करोड़ घर पूरे हो गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में, 28.03 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी की गई है, 14.15 लाख लाभार्थियों को सहायता की दूसरी किस्त, 12.86 लाख लाभार्थियों को सहायता की तीसरी किस्त जारी की गई है और 12.76 लाख घर पूरे हो गए हैं।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य, स्वीकृत आवास, सहायता की किस्तें जारी करने और आवास निर्माण की पूर्णता का राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर का ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in----> AwaasSoft ----> Reports ----> House progress against the target financial year पर देखा जा सकता है।

(ङ) पीएमएवाई-जी के तहत, राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को न्यूनतम 3 किस्तों में सहायता जारी की जाती है, जो घर के निर्माण के चरणों से जुड़ी होती हैं। मंत्रालय पीएमएवाई-जी के तहत सहायता की किस्तों को समय पर जारी करने और घर के निर्माण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

i. मंत्रालय स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा।

ii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए समर्पित पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन और पर्याप्त धनराशि जारी करना।

iv. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का प्रावधान और केंद्रीय और राज्य हिस्सेदारी की धनराशि जारी करना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

v. प्रदर्शन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों को पुरस्कार, जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा पैदा हो।

*****